मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 03/07/2017, दिनांक 10.01.2018

सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि **14.02.2018**

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग , मध्य प्रदेश शासन हेतु विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2017, दिनांक 12.12.2017 आयोग की वेबसाइट तथा **"रोजगार और निर्माण"** समाचार पत्र के दिनांक 18.12.2017 के अंक में प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों/ मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों के अतिथि विद्वानों की आयु सीमा के संदर्भ में:-

(मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1-118/201/38-1, दिनांक 08.01..2018)

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा SLP(C) No- 023565-023568/2016 एवं SLP(C) No-18244/2016 में दिये गए आदेश दिनांक 25.08.2017 के अनुपालन में:-

"मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक 07/2017, दिनांक 12.12.2017 में जो प्रत्याशी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय महाविद्यालय एवं शासकीय विश्वविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में सेवाएं प्रदान की है, को सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इस विज्ञापन में उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार केवल एक बार के लिए आयु सीमा के आधार पर अपात्र नहीं माना जाएगा।"

विज्ञापन में उल्लेखित अतिथि विद्वानों की आयु सीमा में छूट विषयक व्यवस्थाएं उपरोक्तानुसार संशोधित की जाती है।

03 उक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन आवेदन अवधि **दिनांक 15.01.2018 से 14.02.2018 तथा त्रुटि सुधार अवधि 25.01.2018 से 16.02.2018** निर्धारित की जाती है।

04 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी।

उप सचिव